न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी– सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

प्रा.प. संख्या 08/2022

1. गोपीराम ढाका पुत्र धन्नाराम ढाका जाति जाट निवासी 2/25 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी,देवीपुरा सीकर, तहसील व जिला सीकर
2. रामचन्द्र पुत्र पूर्णमल जाति जांगिड़ निवासी आश्रम विहार कॉलोनी जयपुर रोड, सीकर तहसील जिला सीकर

–आवेदकगण–

बनाम

1- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सीकर

2- अंजूदेवी पत्नी अनिल कुमार जाति जांगिड़ निवासी लालसिंह कॉलोनी, राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर

– अनावेदकगण–

आवेदन अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश

दिनांक – 1.11.2022

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) के तहत प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम बाजौर तहसील व जिला सीकर की तन में कृषि भूमि खसरा नम्बर 553 रकबा 3.2900 है0 अवस्थित है। जिसमें प्रार्थी संख्या 1 का 1/2 व प्रार्थी संख्या 2 का 2111/32900 हिस्सा है। प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने के लिये कोई कटानी रास्ता नहीं है जिसके कारण उन्हे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अपने खेत में आने जाने के लिये खसरा नम्बर 976/625 के उत्तरी सीमा के सहारे सहारे पूर्व से पश्चिम दिशा के रास्ते को ही प्रयोग करते हैं। उक्त भूमि गै0मू0 टीबा हाने से कभी भी बन्द हो सकता है । उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण की भूमियों में आने जाने के लिये नहीं है। दिनांक 2.6.2022 को तहसीलदार के समक्ष रास्ता कटानी करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो उनके द्वारा कहा गया कि यदि आपकी भूमि के अन्य कोई रास्ता नहीं लगता है तो आप सक्षम अधिकारी उपखण्ड अधिकारी के पास नये रास्ते के लिये आवेदन प्रस्तुत करें। जिस पर यह आवेदन प्रस्तुत किया गया। अतः आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर खसरा नम्बर 976/625 में से उत्तरी सींव के सहारे सहारे पूर्व से पश्चिम 20 फिट चौड़ा रास्ता दिलाया जाकर नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी में अमल दरामद करवाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

Scanned with Oken Scanner

प्रकरण प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार से रास्ते बाबत नियमानुसार प्रस्ताव मंगवाये जाने हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार सीकर द्वारा रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/2022/1111 दिनांक 17.8.2022 भिजवाई गई।

बहस वकील प्रार्थी पक्ष सूनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहराया एवं रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार रास्ता कायम किये जाने पर अपनी सहमती जताई।

हमने बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्रस्ताव तहसीलदार का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार ग्राम बाजौर तहसील व जिला सीकर के खसरा नम्बर 553 की खातेदारी आवेदकगण एवं अनावेदगण संख्या 1 के नाम दर्ज है एवं आवेदकगण ने जिस खसरा नम्बर 976/625 में से 20 फिट चौड़े रास्ते के बाबत आवेदन किया है वह भूमि सरकारी गै0मू0 टीबा रकबा 0.5100 है0 दर्ज है। प्रार्थीगण रास्ते की भूमि के बदले भूमि देने को तैयार हैं।

रिपोर्ट तहसीलदार सीकर का अवलोकन किया गया जिसमें अंकित किया गया है कि प्रस्तावित रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत में आवागमन के लिये अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है तथा लधुतम दुरी भी प्रस्तावित रास्ते की ही हैं। खसरा नम्बर 976/625 तक खसरा नम्बर 1039/624 किस्म बंजड़ है जो कि मौके पर ग्रेवल सड़क होकर आवागमन जारी है तथा रास्ता चालू है। खसरा नम्बर 976/625 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे 20 फिट चौड़ाई के रास्ते का रकबा 0.1250 है0 बनता है जिसके बदले दी जानी वाली भूमि खसरा नम्बर 553 में से रकबा 0.1250 है0 दक्षिणी पूर्वी कोने की भूमि प्रस्तावित है जो उचित है। रास्ता स्वीकृत होने की अवस्था में किसी निजी खातेदार का हित प्रभावित नहीं होगा क्योंकि खसरा नम्बर 976/625 गै.मू.टीबा खाता सं0 1 की सरकारी भूमि है और सरकार को खातेदार समान रकबा 0.1250 है0 रास्ते की एवज में दे रहा है। प्रस्तावित भूमि मौके पर खाली है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आवेदकगण को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु रास्ता दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है। चुंकि रास्ते के लिये दी जाने भूमि सरकारी भूमि है तथा रास्ते की भूमि के बदले अपनी खातेदारी भूमि से सरकारी भूमि के लगती हुई उतनी ही भूमि खातेदार द्वारा दी जा रही है। इसलिये सरकारी भूमि के रकबे में किसी प्रकार की काई कमी नहीं हो रही है। इस संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्व ग्रुप 6 द्वारा परिपत्र क्रमांक प03(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.6.13 द्वारा राजकीय भूमि पर सार्वजनिक रास्ता निकालने के संबंध में जारी किया गया है। जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुंचने के

उपखण्ड अधिकारी सीकर

लिये राजकीय भूमि से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है तो ऐसे खातेदार द्वारा ऐसी सुविधा के लिये आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जांच करने पर यह समाधान हो जाये कि मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जौत तक पहुंचने के लिये वैकल्पिक साधन का अभाव है। उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप नियम 1 के खण्ड ख के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारीश की गई कृषि भूमि दरों का दुगना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत किया जावे। यह नया मार्ग लघुत्तम या निकटतम रूट से होगा तथा 30 फिट से अधिक चौड़ा नहीं होगा । रास्ते के लिये प्रदत की गई भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में अभिलिखित की जायेगी एवं उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा। उक्त परिपत्र के संदर्भ में प्रस्तावित रास्ते के बदले कोई प्रतिकर नहीं लिया जा रहा है बल्कि रास्ते के प्रयुक्त होने वाली भूमि के रकबे के बराबर खातेदार की भूमि में से सरकारी भूमि के लगता हुआ उतना ही रकबा दिया जा रहा है। परिपत्र के संदर्भ में रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार प्रार्थीगण की जोत तक पहुचंने के लिये इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। सरकारी भूमि के रकबे में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो रही है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार के प्रस्ताव क्रमांक राजस्व/2022/1111 दिनांक 17.8.2022 में दिये गये नजरी नक्शे के अनुसार ग्राम बाजौर तहसील व जिला सीकर की कृषि भूमि खसरा नम्बर 553 में आवागमन हैतु राजकीय भूमि खसरा नम्बर 976/625 रकबा 0.5100 है0 में से रकबा 0.1250 है0, 20 फीट चौड़ा रास्ता आवागमन हैतु कटान में किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा नजरी नक्शें के अनुसार खसरा नम्बर 553 में से इतना ही रकबा 0.1250 है0 आवेदकगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 553 में से कम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त रास्ता आवेदकगण की खातेदारी में दर्ज नहीं किया जाकर सार्वजनिक गै.मू. रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। तहसीलदार का प्रस्ताव क्रमांक राजस्व/2022/1111 दिनांक 17.8.2022 मय नजरी नक्शा निर्णय के भाग रहेगें। तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि इसी अनुसार आदेश की पालना करें।

निर्णय आज दिनांक 1.11.2022 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

(गरिमा लाटा)
उपखण्ड अधिकारी सीकर
उपखण्ड अधिकारी- सीकर

Scanned with Oken Scanner